यह निरीक्षण प्रतिवेदन प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, हिंडोलाखाल, टिहरी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराई गयी किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, हिंडोलाखाल, टिहरी के माह 04/2012 से 12/2017 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री सुधीर कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री खुसी राम, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 23.01.2018 से 27.01.2018 तक श्री दानिश इकबाल वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-प्रथम

1. परिचयात्मकः- इस इकाई की यह प्रथम लेखा परीक्षा है।

2. (I) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः-

(अ) प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, हिंडोलाखाल, टिहरी का मुख्य कार्यकलाप ब्लॉक में आकस्मिक स्वास्थ्य सेवायें प्रदान की जाती हैं तथा प्रसव की सेवायें निशुल्क दी जाती हैं।

(ब) प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, हिंडोलाखाल, टिहरी एवं इकाई द्वारा संचालित योजनाओं का भौगोलिक क्षेत्र समस्त 0.4 हैक्टेयर हैः

(II) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		अधिक्य (+)	बचत (-) समर्पण
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2012-13	--	--	273.98	253.98	3.55	2.27	--	21.28
2013-14	--	--	331.66	309.79	7.25	6.55	--	22.57
2014-15	--	--	334.25	300.80	4.68	3.58	--	34.55
2015-16	--	--	362.30	315.50	4.53	4.28	--	47.05
2016-17	--	--	406.62	334.26	4.64	3.88	--	73.12
2017-18 (up to Dec. 2017	--	--	360.32	232.86	6.35	1.65	--	

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः-

(₹ लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रा. अवशेष	प्राप्त	व्यय	आधिक्य (+)	बचत/समर्पण (-)
शून्य						

(iii) इकाई को बजट प्राप्ति के मुख्य स्त्रोत निदेशक आई0 सी0 डी0 एस0 देहरादून एवं भारत सरकार से प्राप्त होते है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. सचिव 2. महा निदेशक 3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी 4. प्रभारी चिकित्सा अधिकारी 5. समस्त उप केन्द्र

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, हिंडोलाखाल, टिहरी को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, हिंडोलाखाल, टिहरी की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 07/2013, 04/2015, 03/2017 एवं 05/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम किये गये व्यय के आधार पर किया गया।

(vi) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग दो- (ब)

प्रस्तर 01 : रुपए 1.17 लाख को विलंब से जमा किया जाना तथा रूपये 34,515/- धनराशि को राजकोष में जमा न किया जाना।

शासनादेश संख्या 984/5-1-2004 (80) 95 दिनांक 28 जून 2000 में स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया था कि राजकीय चिकित्सालयों में पंजीकरण शुल्क तथा विभिन्न प्रकार के चिकित्सीय परीक्षण सेवा/ सुविधाओं के प्रसंग में प्राप्त होने वाली धनराशि का 50 प्रतिशत अंश संबन्धित चिकित्सा इकाई के स्तर पर ही रखा जायेगा और 50 प्रतिशत धनराशि कोषालय में जमा की जाएगी।

कार्यालय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, हिंडोलाखाल के यूजर चार्जेस अभिलेखों कि जांच में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2012-13 से 12/2017 तक के चयनित माह चयन के समय यह तथ्य प्रकाश में आया कि माह 04/2012 से 04/2013 तक में प्राप्त की धनराशि रूपये 69,031/- में से 50 प्रतिशत धनराशि रूपये 34,515/- को कोषालय में जमा नहीं किया गया। जिससे उक्त धनराशि का उपयोग अन्य योजनाओं में नहीं किया जा सका।

आगे यह भी देखा गया कि सामान्य वित्तीय नियम पुस्तिका के नियम सं॰ 07 (खण्ड-एक) के अनुसार सरकारी धनराशि प्राप्त होने के पश्चात उसे यथा शीघ्र राजकोष में जमा किया जाना चाहिये। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, हिंडोलाखाल के यूजर चार्जेस के रूप में प्राप्त धनराशि माह 08/2013 से 12/2017 तक की अवधि में कुल रूपये 11,7,429/- की धनराशि एक से छः माह के विलम्ब से राजकोष में जमा कराया गया। जिससे स्पष्ट था कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा शासन से जारी शासनादेशों का उल्लंघन करके धनराशि रूपये 34,515/- राजकोष में जमा नहीं किए गए तथा धनराशि रूपये 1,17,429/- को राजकोष में विलम्ब से जमा किया गया।

उक्त के सम्बंध में इंगित किए जाने पर चिकित्सा अधीक्षक ने उत्तर दिया कि जानकारी के अभाव के कारण रुपए 34,515/- की धनराशि को राजकोष में जमा नहीं किया जा सका तथा विलम्ब से धनराशि जमा किए जाने के संबंध में अवगत कराया कि भविष्य में समय पर जमा किए जाने का ध्यान रखा जायेगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि शासनादेश में स्पष्ट है कि 50% धनराशि को राजकोष में जमा कराया जाना था तथा 50 प्रतिशत धनराशि को बैंक खाते में जमा किया जाना था जबकि इकाई द्वारा धनराशि को राजकोष में न जमा कर रुपए 34,515/- बैंक खाते में रखा गया तथा धनराशि रुपए 1.17 लाख को राजकोष में विलम्ब से जमा कराया गया। अतः रुपए 1.17 लाख को विलंब से जमा किया जाना तथा रूपये 34,515/- धनराशि को राजकोष में जमा न किए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो- (ब)

प्रस्तर 02 : त्रुटिपूर्ण मानव संसाधन प्रबंधन एवं चिकित्सको तथा सहयोगी स्टाफ की कमी के कारण चिकित्सा सेवा पर दुष्प्राभाव।

जनपद टिहरी के हिंडोलाखाल ब्लाक मे स्थानीय जनता को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से सामुदायिक स्वास्थ केंद्र हिंडोलाखाल का गठन किया गया था।सामुदायिक स्वास्थ केंद्र हिंडोलाखाल के लिए निम्नलिखित पद सृजित किया गया था परन्तु सृजित पदो के सापेक्ष विगत कई वर्षो से चिकित्सको की तैनाती नहीं की गयी जिसका विवरण निमन्वत था-

प्रभारी चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हिण्डोलाखाल, टिहरी गढवाल।

प्दनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	
2	3	4	
⸍भारी चिकित्साधिकारी	1	1	
चिकित्साधिकारी–द्वितीय	1	.	
फिजीशियन	1	.	
सर्जन	1	.	
स्त्रीरोग विशेषज्ञ महिला	1	1	
बालरोग विशेषज्ञ	1	.	
रेडियोलाजिस्ट	1	.	
डेन्टल सर्जन	1	1	
पैथालाजिस्ट	1	.	
स्टाफ नर्स	3	3	
लैब टेक्नीशियन	1	1	
एक्स रे टेक्नीशियन	1	.	
डेन्टल हाईजिनिस्ट	1	.	
फार्मासिस्ट	1	1	
वरिष्ठ सहायक	1	1	
कनिष्ठ सहायक	1	1	
वाहन चालक	1	1	
डार्क रूम सहायक	1	.	
अन्वेषण कम संगणक	1	.	
नेत्र सहायक	1	1	
कक्ष सेवक	1	.	
वार्ड आया	1	.	
सफाई नायक	3	2	
धोबी	1	.	
कुक	1	.	
क्लीनर कम अटेन्डेन्ट	1	.	
एच0 बी0 प्यून	1	1	
स्वास्थ्य निरीक्षका	2	1	
स्वास्थ्य पर्यवेक्षक	7	3	
स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरूष	11	.	
दाई	3	.	
स्वास्थ्य कार्यकर्ती महिला	22	16	
एच0 ई0 आई0 ओ0	1	.	
चौकीदार, एम0 सी0 एच0	1	.	
फार्मासिस्ट (उपकेन्द्र)	5	5	

एनेस्थेटिक्स	1	.	
	84	40	

प्रभारी चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हिण्डोलाखाल, टिहरी गढवाल।
अति0प्रा0स्वा0केन्द्र/राजकीय एलो0चिकित्सालय मे स्वीकृत पदो की संख्या

पद का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत पदों की संख्या	रिक्त पद
2	3	4	5
चिकित्साधिकारी	1	1	.
फार्मासिस्ट	1	1	.
कक्ष सेवक	1	1	.
सफाई नायक	1	1	.
	4	4	0
प्रभारी चिकित्साधिकारी	1	1	.
फार्मासिस्ट	1	1	.
कक्ष सेवक	1	.	1
सफाई सेवक/चौकीदार	1	.	1
	4	2	2
चिकित्साधिकारी	1	1	.
फार्मासिस्ट	1	1	.
कक्ष सेवक	1	1	.
सफाई सेवक/चौकीदार	1	.	1
	4	3	1
चिकित्साधिकारी	1	1	.
फार्मासिस्ट	1	1	.
कक्ष सेवक	1	1	.
सफाई सेवक/चौकीदार	1	.	1
	4	3	1
प्रभारी चिकित्साधिकारी	1	1	.
फार्मासिस्ट	1	1	.
कक्ष सेवक	1	1	.
स्वास्थ्य कार्यकर्ती महिला	1	1	.
स्वास्थ्य निरीक्षिका	1	.	1
एच0 बी0 प्यून	1	.	1
सफाई सेवक/चौकीदार	1	.	1
	7	4	3
योग	23	16	7
कुल योग	107	56	51

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि चिकित्सको एवं स्टाफ के अधिकांश पद रिक्त थे, ऊपर दिये हुए 107 पदो के सापेक्ष 51 पद रिक्त थे। पदो के रिक्त रहने के कारण स्वास्थ सेवाओं पर एवं सरकारी योजनाएँ के संचालन तथा अनुश्रवण के कार्यों मे बाधा व कठिनाई होना स्वाभाविक था तथा स्थानीय जनता को मिलने वाले स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रतिकूल प्राभाव पड़ने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

उक्त के सम्बंध में इंगित किए जाने पर चिकित्सा अधिकारी द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की तथा यह अवगत कराया गया कि चिकित्सकों एवं सहयोगी स्टाफ की स्वास्थ्य केन्द्र में आवश्यकता है लेकिन शासन स्तर से उक्त पदों पर भर्ती नहीं की गयी। उक्त पदों पर नियुक्ति न होने के कारण आम जनता को शल्य चिकित्सा संबन्धित सुविधायें प्राप्त न होने के कारण

आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था दूर दराज चिकित्सालयों में जाना पड़ता है।

विभाग का उत्तर स्वयं लेखा परीक्षा की आपत्ति की पुष्टि करता है सामुदायिक स्वस्थ्य केन्द्र में स्टाफ की भरी कमी थी तथा पदो के रिक्त रहने के कारण स्वास्थ सेवाओं पर एवं सरकारी योजनाओं के संचालन तथा अनुश्रवण के कार्यों मे बाधा व कठिनाई हो रही थी तथा स्थानीय जनता को मिलने वाली स्वास्थ सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था।

अतः त्रुटिपूर्ण मानव संसाधन प्रबंधन एवं चिकित्सको तथा सहयोगी स्टाफ की कमी के कारण चिकित्सा सेवा पर दुष्प्राभाव का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 01 : दिशा निर्देशों का पालन न कर जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत धनराशि रूपये **21.37** लाख की सहायता राशि के अनियमित भुगतान।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत जननी सुरक्षा योजना को एक महत्वपूर्ण अंतक्षेप के रूप में समाविष्ट किया गया था जिससे महिलाओं की पहुँच संस्थागत प्रसवों तक हो सके एवं जिसके प्रभाव से मातृत्व मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी लायी जा सके। जे॰ एस॰ वाई॰ का उद्देश्य सभी महिलाओं को वित्तीय पैकेज उपलब्ध कराकर संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहित करना है। भारत सरकार द्वारा जारी जननी सुरक्षा योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार लाभार्थी को प्रसव के समय अथवा प्रसव के सात दिन पहले तक किया जा सकता है।

जननी योजना हेतु भारत सरकार द्वारा जारी कार्यान्वयन दिशा-निर्देशों के अनुसारः-

1. प्रसव की संभावित तिथि से 16-20 सप्ताह पूर्व JSY फार्म भरा जाना चाहिए;
2. प्रसव की संभावित तिथि से 2 सप्ताह पूर्व पूर्ण भरे हुए JSY कार्ड स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सा अधिकारी के सत्यापन के लिए प्रस्तुत किए जाने चाहिए;
3. प्रसव के 7 दिन पूर्व अथवा 7 दिन बाद किया गया भुगतान अवैध माना जाएगा;

कार्यालय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्रताप नगर, टिहरी के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि वर्ष 04/2012 से 03/2017 तक JSY योजना के अंतर्गत कुल रूपये 21,37,800.00 व्यय किया गया था। उक्त अवधि में जननी सुरक्षा योजना के प्रत्येक मामलें में JSY कार्ड प्रसव के समय या प्रसव के बाद भरे गए थे, जबकि दिशा-निर्देशों के अनुसार JSY कार्ड प्रसव की संभावित तिथि से 16-20 सप्ताह पूर्व भरा जाना चाहिए एवं प्रसव के बाद प्रभारी चिकित्साधिकारी को भुगतान के इस बात का प्रमाणपत्र देना चाहिए था कि लाभार्थी JSY के मानदंडों के अनुसार लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र है। परंतु किसी भी मामलें में प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा यह प्रमाणपत्र अंकित नहीं किया गया। इसी तरह अधिकतर मामलों में पहचान पत्र एवं referral कार्ड संग्रहीत नहीं किए गए थे। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2012-13 से 03/2017 तक जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत दिशा-निर्देशों का पालन न करते हुए रूपये 21.37 लाख का अनियमित भुगतान किया गया।

उक्त के सम्बंध में इंगित किए जाने पर चिकित्सा अधीक्षक ने उत्तर दिया कि भविष्य में दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित समय पर JSY प्रपत्र भरा जाएगा, पहचान पत्र एवं referral कार्ड संग्रहीत न किए जाने के अवगत कराया गया कि भविष्य में निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि लाभार्थियों को भुगतान दिशा-निर्देशों के अनुसार ही किया जाना चाहिए था, जो विभाग द्वारा नहीं किया गया। अतः दिशा निर्देशों का पालन न कर जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत धनराशि रूपये 21.37 लाख की सहायता राशि के अनियमित भुगतान का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-**III**

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-दो (अ) प्रस्तर संख्या	भाग-दो (ब) प्रस्तर संख्या	स्टेन
प्रथम लेखापरीक्षा			

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
प्रथम लेखापरीक्षा				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

----------शून्य---------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, हिंडोलाखाल, टिहरी तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

(I) शून्य

3. सतत् अनियमितताएं

(I) शून्य

4. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अवधि
1.	डॉ0 राम कुमार	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी	01.04.12 से 25.09.12
2.	डॉ0 राजेश गुजयाल	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी	26.09.12 से 09.01.14
3.	डॉ0 प्रीति रानी	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी	10.01.14 से 28.10.15
4.	डॉ0 संजय जैन	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी	29.10.15 से 05.01.17
5.	डॉ0 प्रीति रानी	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी	06.01.17 से 16.07.17
6.	डॉ0 वाई0एस0 थपलियाल	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी	17.07.17 से 08.01.18
7.	डॉ0 विनय शर्मा	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी	09.01.18 से वर्तमान तक

(V) लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, हिंडोलाखाल, टिहरी को इस आशय से प्रेषित किया गया कि वह लेखापरीक्षा टिप्पणी की प्राप्ति के एक माह के भीतर उसकी अनुपालन आख्या सीधे उप-महालेखाकार, सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.